न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 77/14

दायरा दिनांक 22.09.2014

पीठासीन अधिकारी – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

1. कल्याण पुत्र मोतीलाल जाति किराड निवासी मुंगावली तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
2. रघुवीर पुत्र मोतीलाल जाति किराड निवासी मुंगावली तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.

–वादीगण

–: बनाम :–

1. कान्तिबाई पत्नि करनसिंह जाति किराड निवासी मुंगावली तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
2. करनसिंह पुत्र रामचरण जाति किराड निवासी मुंगावली तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
3. नारान पुत्र रामचरण जाति किराड निवासी मुंगावली तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राज.

– प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 07.09.2022

उपस्थित– 1. वादीगण की ओर से–श्री अरविन्द शर्मा अभिभाषक
2. प्रतिवादीगण की ओर से–एकपक्षीय

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मुंगावली तहसील शाहाबाद में आराजी खाता संख्या 11 खसरा संख्या 34 रकबा 2.15 बीघा, खसरा संख्या 45/1 रकबा 2.00 बीघा, खसरा संख्या 294 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 297 रकबा 4.10 बीघा किता 4 कुल रकबा 9.10 बीघा कृषि भूमि वादीगण के कब्जे व खातेदारी में स्थित है, जिसमें से खसरा संख्या 34 रकबा 2.15 बीघा को दावे में आगे विवादित कहा गया है। वादीगण उक्त आराजी के एकमात्र खातेदार कृषक व कब्जेधारी हैं, जिसमें प्रतिवादी 1 लगायत 3 का कोई हिताधिकार नहीं है। प्रतिवादी कम 1 ने वादीगण के खाते की विवादित आराजी के पास ही खसरा नम्बर 33 की भूमि कय की है तथा उस पर काबिज है, लेकिन प्रतिवादी 1 लगायत 3 के मन में वादीगण के खाते की विवादित आराजीयात हडपने की बदनियति आ गई है, प्रतिवादी 1 ता 3 ने उक्त विवादित आराजी को हडपने के लिये वादीगण के विरूद्व पुलिस में झूंठी रिपोर्ट-दर्ज करा दी, विवादित आराजी के आवंटन को निरस्त करने के लिये न्यायालय एडीएम शाहावाद में स्वयं का कब्जा बताते हुये झूंठी कार्यवाही पेश कर दी व उक्त कार्यवाही में स्वयं का कब्जा साबित करने व भूमि हडपने के लिये प्रतिवादी 1 ता 3 जो एक ही परिवार के ताकतवर व झगडालु लोग हैं, जबरन अवैध रूप से ताकत के बल पर वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा करने को आमादा हैं, वादीगण की खडी फसल सोयाबीन को नष्ट [illegible] .14 को प्रतिवादीगण ने ट्रेक्टर लेकर विवादित आराजी में खडी फसल [illegible] प्रयास किया, जिसे वादी ने बमुश्किल रोक कर विफल कर दिया लेकिन प्रतिवादी 1 लगायत 3 ने धमकी दी है कि वे वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा [illegible] कारण वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी [illegible] न्यायालय में दावा [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त कर प्रतिवादी 1 लगायत 3 को पाबन्द करावें, आदि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 1 ता 3 द्वारा जबाव दावा पेश कर दावे की सभी मदों को अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्ति

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

शीर्षक अन्तर्गत कथन किया गया कि विवादित आराजी वादीगण द्वारा दिनांक 27.09.98 को फर्जी तरीके से आवंटित कराई है, जिस पर वादीगण का आज तक कभी भी एक क्षण भी कब्जा नहीं रहा है। कब्जे के अभाव में धारा 188 आरटी एक्ट का दावा चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी कम 1 विवादित भूमि पर वर्ष 2007 से लगातार काश्त करती चली आ रही है। इससे पूर्व इस भूमि को रामचरण, कल्ला ढीमर मुंगावली काश्त करते रहे हैं। वादीगण गलत तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी कम 1 के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे हैं। वादीगण के आवंटन का निरस्त कराने की कार्यवाही एडीएम शाहावाद में जैरकार है। दिनांक 01.06.13 को वादी की उपस्थिति में हल्का पटवारी ने पैमायश रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें विवादित भूमि पर खातेदारान/वादीगण का कोई कब्जा नहीं होना लिखा है, इस रिपोर्ट के आधार पर भी वाद चलने योग्न नहीं है। अतः वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई –

1. आया ग्राम मुंगावली में खाता संख्या 11 के खसरा नंबर 34 रकबा 2.15 बीघा, खसरा संख्या 45/1 रकबा 2.00 बीघा, खसरा संख्या 294 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 297 रकबा 4.10 बीघा किता 4 कुल रकबा 9.10 बीघा भूमि वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की है, जिस पर प्रतिवादीगण वादी को बेदखल कर कब्जा करने को आमादा हैं ?
2. आया सन 2007 के पूर्व विवादित भूमि पर रामचरण कल्ला ढीमर मुंगावली व 2007 से प्रतिवादी कम 1 काबिज काश्त है, कब्जे के अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है ?

वादी की ओर से पी.डब्ल्यू. 1 कल्याण तथा पी.डब्ल्यू. 2 रघुवीर के बयान कराये और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम मुंगावली सम्वत 2068 से 71 प्रदर्श 1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई, जिनके अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। तनकीवार विस्तृत विश्लेषण निम्न प्रकार है –

1. आया ग्राम मुंगावली में खाता संख्या 11 के खसरा नंबर 34 रकबा 2.15 बीघा, खसरा संख्या 45/1 रकबा 2.00 बीघा, खसरा संख्या 294 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 297 रकबा 4.10 बीघा किता 4 कुल रकबा 9.10 बीघा भूमि वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की है, जिस पर प्रतिवादीगण वादी को बेदखल कर कब्जा करने को आमादा हैं ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी का है। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम मुंगावली सम्वत 2068 से 71 प्रदर्श 1 से साबित है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 34 रकबा 2.15 बीघा, खसरा संख्या 45/1 रकबा 2.00 बीघा, खसरा संख्या 294 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 297 रकबा 4.10 बीघा किता 4 कुल रकबा 9.10 बीघा वादीगण के रिकार्डेड खातेदारी की है, जिस पर वादीगण का कब्जा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 से साबित है, जिसमें प्रतिवादी अथवा अन्य को दखलन्दाजी करने का कोई हक नहीं है। इस प्रकार वादीगण इस तनकी को साबित करने में सफल रहे है, इस कारण यह तनकी वादीगण के हक में निर्णीत की जाती है।

2. आया सन 2007 के पूर्व विवादित भूमि पर रामचरण कल्ला ढीमर मुंगावली व 2007 से प्रतिवादी कम 1 काबिज काश्त है, कब्जे के अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में विफल रहे हैं। अतः कारण यह तनकी साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

आदेश

उपरोक्त तनकीवार किये गये विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा संख्या 34 रकबा 2.15 बीघा ग्राम मुंगावली तहसील शाहावाद के बावत वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिकी मुकदमा इन्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम– शाहाबाद

व इजलास – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

1. कल्याण पुत्र मोतीलाल जाति किराड निवासी मुंगावली तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
2. रघुवीर पुत्र मोतीलाल जाति किराड निवासी मुंगावली तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.

–वादीगण

–: बनाम :–

1. कान्तिबाई पत्नि करनसिंह जाति किराड निवासी मुंगावली तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
2. करनसिंह पुत्र रामचरण जाति किराड निवासी मुंगावली तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
3. नारान पुत्र रामचरण जाति किराड निवासी मुंगावली तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राज.

– प्रतिवादीगण

दावा बावत धारा 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 77/14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...
व हाजरी...............................मिनजामिन मुद्दई रूबरू...
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिकी दी जाती है कि **वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा संख्या 34 रकबा 2.15 बीघा ग्राम मुंगावली तहसील शाहावाद के बावत वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेंगे।** निज ....मुबलिग...बावत...................................
खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह..................फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....को अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.09.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा
स्टाम्प वकालतनामा			सटाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना बकील
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुकमनामा
बवत इजराय हुकमनामा			मुतफरीक मीजान
मुतफरीक			

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का जो डिकी के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner